कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान,

अरण्य भवन, झालाना सांस्थानिक क्षेत्र, जयपुर–302004
ई–मेल:–ccf.fca.rajasthan@gmail.com Tel. No. 0141-2713949

क्रमांकः एफ. 14(382/35)2020/एफसीए/प्रमुवसं./3378 दिनांक 25/11/24

विशिष्ठ शासन सचिव,
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
राजस्थान सरकार,
शासन सचिवालय, जयपुर

विषयः– Diversion of 1.045 ha. of forest land in favour of JIO DIGITAL FIBER PVT LTD Laying Undergruond OFC within Row of existing PWD road form Vijaipura- Ratangarh from Lat/long point 24.808472/75.718965 to 24.688055/75.605895" for length and area in forest is 23.222 Km and 1.045 ha and length & area in non- forest is 0.156 Km and 0.007 ha. Total length and area in forest is 23.222 KM & 1.045 ha. and in non-forest is 0.156 Km and 0.007 (Proposal no. FP/RJ/OFC/44109/2020)

संदर्भः–राजस्थान सरकार वन विभाग का पत्रांक प. 1(13)वन/2022 दि. 22.02.2022

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र से जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना रिपोर्ट मुख्य वन संरक्षक, उदयपुर से प्राप्त कर निम्नानुसार प्रेषित हैः–

क्र.सं.	आक्षेप	सूचना
1.	वनभूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।	वनभूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नही किया जावेगा। प्रयोक्ता एजेन्सी की अण्डर टेकिंग संलग्न है।
2	प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।	प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नही किया जावेगा। प्रयोक्ता एजेन्सी की अण्डर टेकिंग संलग्न है।
3	याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आसपास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओ को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेगें।	परियोजना निर्माण एवं रखरखाव के दौरान आसपास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नही पंहुचई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपास किये जावेगे। प्रयोक्ता एजेन्सी की अण्डर टेकिंग संलग्न है।
4	प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षों को वन विभाग की बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड परिपक्व होने पर, वन विभाग के होगें।	प्रत्यावर्तित क्षेत्र मे रोपित पेडों को वन विभाग की बिना पुर्वानुमति के नही काटा जावेगा। उक्त क्षेत्र मे रोपित पेड परिपक्व होने पर वन विभाग के होगे। प्रयोक्ता एजेन्सी की अण्डर टेकिंग संलग्न है।
5	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस–पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैंम्प न हीं लगाया जावेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस–पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैंम्प न हीं लगाया जावेगा। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी है, जो संलग्न है।
6	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसाई गैस/केरोसिन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसाई गैस/केरोसिन तेल आपूति नहीं की जायेगी। इस संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्धता दी गयी है जो संलग्न है।

CS CamScanner

7	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस–पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस–पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा। इस संबंध में यूजर एजेन्सी द्वारा दी गयी वचनबद्धता संलग्न है।
8	प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा। इस संबंध में यूजर एजेन्सी द्वारा दी गयी वचनबद्धता संलग्न हैं।
9	प्रयोक्ता अभिकरण सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ एफ. आर. ए. सर्टिफिकेट प्रस्तुत करावेगा। तदोपरांत ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।	यूजर ऐजेन्सी द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट प्रस्तुत किया है (प्रति संलग्न)
10	राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।	उच्च कार्यालय से संबंधित है।
11	भारत सरकार के पत्रांक 7–23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्युनल द्वारा दि. 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावे तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेन्सी हिन्दी एवं अंग्रजी मे प्रकाशित होने वाले एक–एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करावें एवं जारी स्वीकृति की प्रतियांस्थानीय निकाय, पंचायत एवंनगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अनुपालना की जा चुकी है। हिन्दी एवं अंग्रेजी समाचार पत्रों में प्रकाशित स्वीकृति की फोटो प्रति संलग्न है। **(प्रति संलग्न है।)**

संलग्नः–उक्तानुसार।

भवदीया,

Shikha

(शिखा मेहरा)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी एफसीए,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ. 14(382/35)2020/एफसीए/प्रमुवसं./ दिनांक

प्रतिलिपिः–मुख्य वन संरक्षक, उदयपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।

(दिनेश कुमार गुप्ता)
उप वन संरक्षक (एफ.सी.ए.)
अरण्य भवन, जयपुर

CamScanner

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, उदयपुर

वन भवन, मोहता पार्क के सामने, चेतक सर्किल, उदयपुर–313001

email: ccf.udpur.forest@rajasthan.gov.in; Tel.no. 0294-2424748; 0294-2418137

क्रमांक एफ ( ) मुवसं / / एफसीए. / 2024–25 / 7367 दिनांक :– 12-11-2024

निमित्

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफसीए
राजस्थान, जयपुर।

विषय :–Diversion of 1.045 ha. of forest land in favour of JIO DIGITAL FIBER PVT LTD Laying Underground OFC within ROW of existing PWD road from Vijaipura-Ratangarh form Lat/long point 24.808472/75.718965° to 24.688055/75.605895° for length & area in forest is 23.222 KM & 1.045 ha and length & area in non-forest is 0.156 Km & 0.007 ha. Total length and area in forest is 23.222 KM & **1.045 ha** and in non-forest is 0.156 Km & 0.007 (**FP/RJ/OFC/44109/2020)**

प्रसंग :– आपका पत्रांक 813 दिनांक 03.03.2022 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र के क्रम में निवेदन है कि राजस्थान सरकार वन विभाग के पत्रांक प. 1(13) वन / 2022 दिनांक 22.2.2022 से जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति की बिन्दुवार पालना रिपोर्ट उप वन संरक्षक, चित्तौडगढ द्वारा उनके पत्र क्रमांक / एफसीए / उवसं / 2023–24 / 11314 दिनांक 30.10.2024 से तैयार कर एवं साथ ही भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति की प्रति 2 दैनिक समाचार पत्रों (हिन्दी एवं अंग्रेजी) में प्रकाशित करा समाचार पत्रों की प्रति पालना के साथ संलग्न कर इस कार्यालय को प्रेषित की गई है। इस कार्यालय की संहमति के साथ निम्नानुसार पालना रिपोर्ट तैयार की जाकर मूल ही दो प्रति में पत्र के संलग्न प्रेषित है।

क्र.सं.	शर्त विवरण	अनुपालना
1	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।	उक्त पालना के संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबधता प्रस्तुत की है, जो संलग्न है।
2	प्रत्यावर्तन वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।	उक्त पालना के संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबधता प्रस्तुत की है, जो संलग्न है।
3	याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेगें।	उक्त पालना के संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबधता प्रस्तुत की है, जो संलग्न है।
4	प्रत्यावर्तन क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले को वृक्षों वन विभाग की बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर, वन विभाग के होगें।	उक्त पालना के संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबधता प्रस्तुत की है, जो संलग्न है।
5	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल / वनक्षेत्र के आस–पास मजदूरों / स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा।	उक्त पालना के संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबधता प्रस्तुत की है, जो संलग्न है।
6	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों / स्टॉफ को रसोई गैस / केरोसिन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो।	उक्त पालना के संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबधता प्रस्तुत की है, जो संलग्न है।
7	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त ...	उक्त पालना के संबंध में प्रयोक्ता

Signature valid
Digitally signed by Sunil Chidri
Designation: Chief Conservator Of Forest
Date: 2024.11.12 18:10:46 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No : 11751743

CamScanner

	वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा।	अभिकरण द्वारा वचनवधता प्रस्तुत की है, जो संलग्न है।
8	प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा।	उक्त पालना के संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबधता प्रस्तुत की है, जो संलग्न है।
9	प्रयोक्ता अभिकरण, सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट प्रस्तुत करावेगा। तदोपरान्त ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।	उक्त पालना के संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जिला कलेक्टर, चित्तौड़गढ़ द्वारा उनके पत्र क्रमांक/12–81322/1849 दिनांक 24.7.2024 द्वारा जारी किया गया एफ.आर.ए. प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है जो संलग्न है।
10	राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।	उक्त पालना के संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबधता प्रस्तुत की है, जो संलग्न है।
11	भारत सरकार के पत्रांक 7–23/2012/एफसी दिनांक 24.7.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 7.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावें तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक–एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करावें एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।	हिन्दी एवं अग्रेंजी में प्रकाशित होने वाले एक–एक समाचार पत्र में प्रकाशित स्वीकृति की प्रति संलग्न है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार 2 सेट।

भवदीय

(सुनील चिद्री
मुख्य वन संरक्षक,
उदयपुर

क्रमांक एफ ( ) मुवसं/ /एफसीए./2024–25/ दिनांक :–

प्रतिलिपि :–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1.उप वन संरक्षक, चित्तौडगढ को उनके पत्रांक 11314 दिनांक 30.10.2024 के कम में प्रेषित कर लेख है कि आलौच्य प्रकरण में सक्षम स्वीकृति के विना उक्त वन क्षेत्र में गैरवानिकी कार्य ना हो यह भी सुनिश्चित करे।

2.मैनेजर जियो डिजीटल फाइबर प्रा.लि. कोटा को सूचनार्थ प्रेषित है।

(सुनील चिद्री
मुख्य वन संरक्षक,
उदयपुर

Signature valid
Digitally signed by Sunil Chidri
Designation: Chief Conservator Of Forest
Date: 2024.11.12 18:10:46 IST
Reason: Approved

CamScanner

राजस्थान सरकार

कार्यालय उप वन संरक्षक, चित्तौड़गढ़ (राज0)

(वन विभाग परिसर, प्रताप सर्किल, चित्तौड़गढ़.312001;Ph&Fax :01472-294001;email : dcf.chitor.forest@rajasthan.gov.in)

पत्र क्रमांक : एफ ( ) एफ.सी.ए. / उवसं / 2023 –24 / 11314 दिनांक : 30/10/2024

निमित्त,

मुख्य वन संरक्षक,
उदयपुर

विषय :—Laying of underground OFC within ROW of existing PWD road from Vijaipura-Ratangarh form Lat/long point 24.808472/75.718965° to 24.688055/75.605895° for length & area in forest is 23.222 KM & 1.045 ha and length & area in non-forest is 0.156 Km & 0.007 ha. Total length and area in forest is 23.222 KM & **1.045 ha** and in non-forest is 0.156 Km & 0.007 (**FP/RJ/OFC/44109/2020)**

प्रसंग :— राजस्थान सरकार, वन विभाग, के पत्र क्रमांक प. 1(13) वन / 2022 दिनांक 22.2.2022 के क्रम में।

संदर्भ :— मैनेजर जियो डिजीटल फाइबर प्रा.लि. कोटा पत्र क्रमांक FP/RJ/OFC/44109/2020/Complance/01 दिनांक 2.9.2024 इस कार्यालय में प्राप्त 4.10.2024 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि प्रासंगिक पत्र द्वारा जारी की गई सैद्धान्तिंक स्वीकृति की अनुपालना रिपोर्ट संदर्भित पत्र द्वारा इस कार्यालय में प्रस्तुत की गई है। अनुपालना रिपोर्ट का अवलोकन पश्चात निम्नानुसार प्रेषित है :—

क्र.सं.	शर्त विवरण	अनुपालना
1	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।	उक्त पालना के संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबधता प्रस्तुत की है, जो संलग्न है।
2	प्रत्यावर्तन वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।	उक्त पालना के संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबधता प्रस्तुत की है, जो संलग्न है।
3	याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेगें।	उक्त पालना के संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबधता प्रस्तुत की है, जो संलग्न है।
4	प्रत्यावर्तन क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले को वृक्षों वन विभाग की बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर, वन विभाग के होगें।	उक्त पालना के संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबधता प्रस्तुत की है, जो संलग्न है।
5	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल / वनक्षेत्र के आस–पास मजदूरों / स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा।	उक्त पालना के संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबधता प्रस्तुत की है, जो संलग्न है।
6	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों / स्टॉफ को रसोई गैस / केरोसिन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो।	उक्त पालना के संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबधता प्रस्तुत की है, जो संलग्न है।

VIJAY SHANKAR PANDEY
D.C.F. CHITTORGARH

7	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस–पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा।	उक्त पालना के संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबधता प्रस्तुत की है, जो संलग्न है।
8	प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा।	उक्त पालना के संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबधता प्रस्तुत की है, जो संलग्न है।
9	प्रयोक्ता अभिकरण, सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ एम.आर.ए. सर्टिफिकेट प्रस्तुत करावेगा। तदोपरान्त ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।	उक्त पालना के संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जिला कलेक्टर, चित्तौड़गढ़ द्वारा उनके पत्र क्रमांक/12–81322/1849 दिनांक 24.7.2024 द्वारा जारी किया गया एफ.आर.ए. प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है जो संलग्न है।
10	राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।	उक्त पालना के संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबधता प्रस्तुत की है, जो संलग्न है।
11	भारत सरकार के पत्रांक 7–23/2012/एफसी दिनांक 24.7.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 7.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावें तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक–एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करावें एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।	उक्त पालना के संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबधता प्रस्तुत की है तथा समाचार पत्रों की प्रति प्रस्तुत की जो संलग्न है।

अतः उपरोक्तानुसार प्राप्त पालना रिपोर्ट 3 प्रति में अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार 3 सेट।

भवदीय

(विजय शंकर पाण्डेय)
उप वन संरक्षक,
चित्तौड़गढ़

पत्र क्रमांक : एफ ( ) एफ.सी.ए./उवसं/2024–25/ 11315-16 **दिनांक :** 30.10.2024

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, नोडल अधिकारी एफसीए, राजस्थान – जयपुर।
2. मैनेजर जियो डिजीटल फाइबर प्रा.लि. कोटा को सूचनार्थ प्रेषित है।

(विजय शंकर पाण्डेय)
उप वन संरक्षक,
चित्तौड़गढ़

पालना रिपोर्ट

प्रस्ताव संख्या: FP/RJ/OFC/44109/2020

Diversion of 1.045 ha. of forest land in favour of Jio Digital Fiber Pvt. Ltd. for underground OFC laying work in forest area in district Chittorgarh (प्रस्ताव संख्या: FP/RJ/OFC/44109/2020)

प्रस्ताव संख्या **FP/RJ/OFC/44109/2020** की सैद्धान्तिक स्वीकृति श्रीमान शासन सचिव, वन विभाग राजस्थान ने अपने पत्र क्रमांक प.1(13)वन/2022 दिनांक 22.02.2022 द्वारा जारी कर दी है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लेखित शर्तों की बिन्दुवार पालना रिपोर्ट निम्नानुसार प्रस्तुत है:–

क्रमांक	शर्त	पालना रिपोर्ट
1.	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।	स्वीकार है
2.	प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।	स्वीकार है
3.	याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख–रखाव के दौरान आसपास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी पकार की क्षति नहीं पहुचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे।	स्वीकार है
4.	प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षों को वन विभाग की बिना पूर्वानुमति के नही काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर वन विभाग के होंगे।	स्वीकार है
5.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आसपास मजदूरों/स्टॉफ के लिये किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा।	स्वीकार है
6.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टॉफ को रसोई गैस/कैरासिन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो।	स्वीकार है
7.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन भूमि के अतिरिक्त आसपास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा।	स्वीकार है
8.	प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा।	स्वीकार है
9.	प्रयोक्ता अभिकरण, सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट प्रस्तुत करावेगा। तदोपरान्त ही विधिवत् स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।	जिला कलेक्टर, चित्तौडगढ़ ने दिनांक 02.08.2024 को एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया है। (प्रतिलिपि संलग्न है)

For Jio Digital Fibre Pvt. Ltd.

Authorized Signatory

FCA Proposal
C.S.

(VIJAY SHANKAR PANDEY)
D.C.F. CHITTORGARH

10.	राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।	सहमत हैं।
11.	भारत सरकार के पत्रांक 7–23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्युनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावे तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेन्सी हिन्दी एवं अंग्रजी में प्रकाशित होने वाले एक–एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करावें एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।	अनुपालना की जा चुकी है। हिन्दी एवं अंग्रेजी समाचार पत्रों में प्रकाशित स्वीकृति की फोटो प्रति संलग्न है।

वास्ते **जियो डिजीटल फाईबर प्राईवेट लिमिटेड**

For Jio Digital Fibre Pvt. Ltd.

Authorized Signatory

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

सुरेश सिंघल (वरिष्ठ प्रबंधक)

संलग्नः उपरोक्तानुसार

FCA Proposal
C.S.

(VIJAY SHANKAR PANDEY)
D.C.F. CHITTORGARH

Condition No. 1

Full Tiltle of the Project	:	**Diversion of 1.045 ha. of forest land in favour of Jio Digital Fiber Pvt. Ltd. for laying Optical Fibre Cable along road (within the existing RoW) (प्रस्ताव संख्या: FP/RJ/OFC/44109/2020)**
Proposal No.	:	**FP/RJ/OFC/44109/2020**
Date of Proposal	:	**22.01.2020**
Proposal Diversion Area	:	**1.045 ha.**

UNDERTAKIANG

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त प्रस्ताव में सम्मिलित वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा । इस हेतु कंपनी वचनबद्ध है।

स्थान : जयपुर
दिनांक::

वास्ते जियो डिजीटल फाईबर प्राईवेट लिमिटेड
For Jio Digital Fibre Pvt. Ltd.
Authorized Signatory
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
सुरेश सिंघल (वरिष्ठ प्रबंधक)

FCA Proposal
C.S.
(VIJAY SHANKAR PANDEY)
D.C.F. CHITTORGARH

JIO DIGITAL FIBRE PRIVATE LIMITED

CIN: U64200GJ2018PTC105652

Condition No. 2

Full Tiltle of the Project	:	**Diversion of 1.045 ha. of forest land in favour of Jio Digital Fiber Pvt. Ltd. for laying Optical Fibre Cable along road (within the existing RoW), District Chittorgarh (Rajasthan) (प्रस्ताव संख्या: FP/RJ/OFC/44109/2020)**
Proposal No.	:	**FP/RJ/OFC/44109/2020**
Date of Proposal	:	**22.01.2020**
Proposal Diversion Area	:	**1.045 ha.**

UNDERTAKIANG

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त प्रस्ताव में प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा।

स्थान : जयपुर
दिनांक::

वास्ते जियो डिजीटल फाईबर प्राईवेट लिमिटेड
For Jio Digital Fibre Pvt. Ltd.

Authorized Signatory
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
सुरेश सिंघल (वरिष्ठ प्रबंधक)

FCA Proposal
C.S.
(VIJAY SHANKAR PANDEY)
D.C.F. CHITTORGARH

JIO DIGITAL FIBRE PRIVATE LIMITED

CIN: U64200GJ2018PTC105652

Condition No. 3

Full Tiltle of the Project	:	**Diversion of 1.045 ha. of forest land in favour of Jio Digital Fiber Pvt. Ltd. for laying Optical Fibre Cable along road (within the existing RoW), District Chittorgarh (Rajasthan) (प्रस्ताव संख्या: FP/RJ/OFC/44109/2020)**
Proposal No.	:	**FP/RJ/OFC/44109/2020**
Date of Proposal	:	**22.01.2020**
Proposal Diversion Area	:	**1.045 ha.**

UNDERTAKIANG

प्रमाणित किया जाता है कि याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख–रखाव के दौरान आसपास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी पकार की क्षति नहीं पहुचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किया जायेगा।

स्थान : जयपुर
दिनांक::

वास्ते जियो डिजीटल फाईबर प्राईवेट लिमिटेड
For Jio Digital Fibre Pvt. Ltd.
Authorized Signatory
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
सुरेश सिंघल (वरिष्ठ प्रबंधक)

FCA Proposal
C.S.
(VIJAY SHANKAR PANDEY)
D.C.F. CHITTORGARH

JIO DIGITAL FIBRE PRIVATE LIMITED

CIN: U64200GJ2018PTC105652

Condition No. 4

Full Tiltle of the Project	:	Diversion of 1.045 ha. of forest land in favour of Jio Digital Fiber Pvt. Ltd. for laying Optical Fibre Cable along road (within the existing RoW), District Chittorgarh (Rajasthan) (प्रस्ताव संख्या: FP/RJ/OFC/44109/2020)
Proposal No.	:	FP/RJ/OFC/44109/2020
Date of Proposal	:	22.01.2020
Proposal Diversion Area	:	1.045 ha.

UNDERTAKIANG

प्रमाणित किया जाता है कि प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षों को वन विभाग की बिना पूर्वानुमति के नही काटा जायेगा। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर वन विभाग के होंगे।

स्थान : जयपुर
दिनांक::

वास्ते जियो डिजीटल फाईबर प्राईवेट लिमिटेड

For Jio Digital Fibre Pvt. Ltd.

Authorised Signatory

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
सुरेश सिंघल (वरिष्ठ प्रबंधक)

FCA Proposal
C.S.

(VIJAY SHANKAR PANDEY)
D.C.F. CHITTORGARH

JIO DIGITAL FIBRE PRIVATE LIMITED

CIN: U64200GJ2018PTC105652

Condition No. 5

Full Tiltle of the Project	:	**Diversion of 1.045 ha. of forest land in favour of Jio Digital Fiber Pvt. Ltd. for laying Optical Fibre Cable along road (within the existing RoW), District Chittorgarh (Rajasthan) (प्रस्ताव संख्या: FP/RJ/OFC/44109/2020)**
Proposal No.	:	**FP/RJ/OFC/44109/2020**
Date of Proposal	:	**22.01.2020**
Proposal Diversion Area	:	**1.045 ha.**

UNDERTAKIANG

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आसपास मजदूरों/स्टॉफ के लिये किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जायेगा।

स्थान : जयपुर
दिनांक::

वास्ते जियो डिजीटल फाईबर प्राईवेट लिमिटेड
For Jio Digital Fibre Pvt. Ltd.
Authorized Signatory
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
सुरेश सिंघल (वरिष्ठ प्रबंधक)

FCA Proposal
C.S.
(VIJAY SHANKAR PANDEY)
D.C.F. CHITTORGARH

JIO DIGITAL FIBRE PRIVATE LIMITED

CIN: U64200GJ2018PTC105652

Condition No. 6

Full Tiltle of the Project	:	**Diversion of 1.045 ha. of forest land in favour of Jio Digital Fiber Pvt. Ltd. for laying Optical Fibre Cable along road (within the existing RoW) , District Chittorgarh (Rajasthan) (प्रस्ताव संख्या: FP/RJ/OFC/44109/2020)**
Proposal No.	:	**FP/RJ/OFC/44109/2020**
Date of Proposal	:	**22.01.2020**
Proposal Diversion Area	:	**1.045 ha.**

UNDERTAKIANG

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टॉफ को रसोई गैस/कैरासिन तेल आपूर्ति की गई है, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति नहीं किया जायेगा ।

स्थान : जयपुर
दिनांकः:

वास्ते जियो डिजीटल फाईबर प्राईवेट लिमिटेड
For Jio Digital Fibre Pvt. Ltd.

Authorized Signatory

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
सुरेश सिंघल (वरिष्ठ प्रबंधक)

FCA Proposal
C.S.

(VIJAY SHANKAR PANDEY)
D.C.F. CHITTORGARH

Condition No. 7

Full Tiltle of the Project	:	**Diversion of 1.045 ha. of forest land in favour of Jio Digital Fiber Pvt. Ltd. for laying Optical Fibre Cable along road (within the existing RoW), District Chittorgarh (Rajasthan) (प्रस्ताव संख्या: FP/RJ/OFC/44109/2020)**
Proposal No.	:	**FP/RJ/OFC/44109/2020**
Date of Proposal	:	**22.01.2020**
Proposal Diversion Area	:	**1.045 ha.**

UNDERTAKIANG

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन भूमि के अतिरिक्त आसपास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जायेगा।

स्थान : जयपुर
दिनांक::

वास्ते जियो डिजीटल फाईबर प्राईवेट लिमिटेड

For Jio Digital Fibre Pvt. Ltd.

Authorized Signatory

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
सुरेश सिंघल (वरिष्ठ प्रबंधक)

FCA Proposal
C.S.

(VIJAY SHANKAR PANDEY)
D.C.F. CHITTORGARH

Condition No. 8

Full Tiltle of the Project	:	Diversion of 1.045 ha. of forest land in favour of Jio Digital Fiber Pvt. Ltd. for laying Optical Fibre Cable along road (within the existing RoW) , District Chittorgarh (Rajasthan) (प्रस्ताव संख्या: FP/RJ/OFC/44109/2020)
Proposal No.	:	FP/RJ/OFC/44109/2020
Date of Proposal	:	22.01.2020
Proposal Diversion Area	:	1.045 ha.

UNDERTAKIANG

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन किया जायेगा|

स्थान : जयपुर
दिनांक::

वास्ते जियो डिजीटल फाईबर प्राईवेट लिमिटेड
For Jio Digital Fibre Pvt. Ltd.
Authorized Signatory
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
सुरेश सिंघल (वरिष्ठ प्रबंधक)

FCA Proposal
C.S.
(VIJAY SHANKAR PANDEY)
D.C.F. CHITTORGARH

JIO DIGITAL FIBRE PRIVATE LIMITED

CIN: U64200GJ2018PTC105652

Condition No. 9

Full Tiltle of the Project	:	**Diversion of 1.045 ha. of forest land in favour of Jio Digital Fiber Pvt. Ltd. for laying Optical Fibre Cable along road (within the existing RoW), District Chittorgarh (Rajasthan) (प्रस्ताव संख्या: FP/RJ/OFC/44109/2020)**
Proposal No.	:	**FP/RJ/OFC/44109/2020**
Date of Proposal	:	**22.01.2020**
Proposal Diversion Area	:	**1.045 ha.**

UNDERTAKIANG

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त प्रस्ताव से सम्बंधित एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट संलग्न है।

स्थान : जयपुर
दिनांक::

वास्ते जियो डिजीटल फाईबर प्राईवेट लिमिटेड
For Jio Digital Fibre Pvt. Ltd.

Authorized Signatory
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
सुरेश सिंघल (वरिष्ठ प्रबंधक)

FCA Proposal
C.S.

(VIJAY SHANKAR PANDEY)
D.C.F. CHITTORGARH

रजिस्टर्ड

कार्यालय जिला परिषद, चित्तौडगढ़

क्रमांक / जिपचि / पंचायत / 2024 / 1872 दिनांकः– 02/08 / 2024

रिलायन्स प्रोजेक्ट एण्ड प्रोपर्टी
मेनेजमेंट सर्विसेस लिमिटेड
पता–अपर ग्राउण्ड फलोर,
रिलायंस मार्केट प्लाट न. बी–1
सुजुकी कॉलोनी, गुरूनानक पेट्रोल पंप के सामने
हमीरगढ़ रोड, भीलवाडा–311001 (राज.)

विषय :–फोरेस्ट राईट एक्ट 2006 के अंतर्गत निर्धारित प्रपत्र में प्रमाण पत्र भिजवाने बाबत्।
प्रसंग :–आपका पत्र क्रमांक व–15 ()भील / जिओ / FRA / 2024 / SPL-1 दिनांक 02.05.2024।

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासांगिक पत्रानुसार लेख है कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत भारत सरकार के पत्र क्रमांक / 11–9 / 98–एफसी दिनांक 03.08.2009 में दिये गये निर्देशानुसार जियो डिजीटल फाईबर प्रा. लि. को विभिन्न स्थानों पर भूमिगत ऑप्टिकल फाईबर केबल डालने हेतु आवेदन किया गया था। जिसके क्रम में दिनांक 11.06.2024 को जिला कलक्टर महोदय, चित्तौडगढ़ की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया था। बैठक में जियो डिजीटल फाईबर प्रा. लि. को विभिन्न स्थानों पर भूमिगत ऑप्टिकल फाईबर केबल डालने का प्रस्ताव लिया गया तथा इनको प्रमाण पत्र जारी किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई थी। जिसका विवरण निम्न प्रकार है–

1. विजयपुर से मध्यप्रदेश सीमा तक (1.045 हैक्टयर)
2. विजयपुर से रूप पुरा तक (0.1828 हैक्टयर)
3. गांधी सागर (मध्यप्रदेश) से रतनगढ तक (0.398 हैक्टयर)

अतः उपरोक्त 03 प्रस्ताव के संबंध में मूल 03 प्रमाण पत्र आपको पत्र के साथ सलंग्न कर भिजवाये जा रहे है।

सलंग्नः–उपरोक्तानुसार।

02.8.24
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद, चित्तौडगढ़

FCA Proposal
C.S.
(VIJAY SHANKAR PANDEY)
D.C.F. CHITTORGARH

For Jio Digital Fibre Pvt. Ltd.
Authorised Signatory

FORM-I
(for linear projects)
Government of Rajasthan
Office of the Zila Parishad Chittorgarh

No Rev/12-81322/ /1849

Dated. 24 July 2024

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non- forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 1.045 hectares of forest land within ROW of existing road from Vijaipur - Ratangarh (MP Border) proposed to be diverted in favour of JIO DIGITAL FIBRE PRIVATE LTD. for laying of Underground Optical Fibre cable within the ROWs of the above mentioned Roads in Chittorgarh district falls within jurisdiction of Tolo ka luhariya, Gujaro ki Morvan, Balkundikalan, Devpura, Bawdikheda, Kanwarpura, Muavda, & Kuakheda villages in Rawatbhata tehsil.

It is further certified that:

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 1.045 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Right Sub-Division Level Committee and the District Level Committee are enclosed as annexure - to annexure –II
(b) The proposal does not Involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre- agricultural communities.

Enci; AS above

District Collector
Chittorgarh (Raj.)

Copy to: ROW Manager, JIO Digital Fibre Pvt Ltd., Kota.

District Collector
Chittorgarh (Raj.)

For Jio Digital Fibre Pvt. Ltd.

Authorized Signatory

FCA Proposal
C.S.

(VIJAY SHANKAR PANDEY)
D.C.F. CHITTORGARH

JIO DIGITAL FIBRE PRIVATE LIMITED

CIN: U64200GJ2018PTC105652

Condition No. 10

Full Tiltle of the Project	**:**	**Diversion of 1.045 ha. of forest land in favour of Jio Digital Fiber Pvt. Ltd. for laying Optical Fibre Cable along road (within the existing RoW) , District Chittorgarh (Rajasthan) (प्रस्ताव संख्या: FP/RJ/OFC/44109/2020)**
Proposal No.	**:**	**FP/RJ/OFC/44109/2020**
Date of Proposal	**:**	**22.01.2020**
Proposal Diversion Area	**:**	**1.045 ha.**

UNDERTAKIANG

प्रमाणित किया जाता है कि राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा। जसिसे कंपनी सहमत है।

स्थान : जयपुर
दिनांक::

वास्ते जियो डिजीटल फाईबर प्राईवेट लिमिटेड
For Jio Digital Fibre Pvt. Ltd.

Authorized Signatory
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
सुरेश सिंघल (वरिष्ठ प्रबंधक)

FCA Proposal
C.S.

(VIJAY SHANKAR PANDEY)
D.C.F. CHITTORGARH

Condition No. 11

Full Tiltle of the Project	:	**Diversion of 1.045 ha. of forest land in favour of Jio Digital Fiber Pvt. Ltd. for laying Optical Fibre Cable along road (within the existing RoW), District Chittorgarh (Rajasthan) (प्रस्ताव संख्या: FP/RJ/OFC/44109/2020)**
Proposal No.	:	**FP/RJ/OFC/44109/2020**
Date of Proposal	:	**22.01.2020**
Proposal Diversion Area	:	**1.045 ha.**

UNDERTAKIANG

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार के पत्रांक 7–23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्युनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना में प्रकरण में जारी सैद्वान्तिक स्वीकृति को यूजर एजेन्सी द्वारा हिन्दी एवं अंग्रजी में प्रकाशित होने वाले एक–एक समाचार पत्रो में अक्षरशः प्रकाशित किया गया है, प्रकाशित स्वीकृति की फोटो प्रति संलग्न है। प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को भी उपलब्ध करा दी गयी।

स्थान : जयपुर
दिनांक::

वास्ते जियो डिजीटल फाईबर प्राईवेट लिमिटेड

For Jio Digital Fibre Pvt. Ltd.

Authorized Signatory

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
सुरेश सिंघल (वरिष्ठ प्रबंधक)

FCA Proposal
C.S.

(VIJAY SHANKAR PANDEY)
D.C.F. CHITTORGARH

के निर्माण
परियोजना
हिन्दुस्तान
ी स्तर पर
ल करने को
पीसीएल के
को बढ़ाकर

ोसीएल एवं
ार्गों के मध्य
हुए निर्माण
कहा। ताकि
म्भ हो सके।
के अनुषंगी
के परिक्षेत्र
ी समानान्तर
जा रहे हैं।
न दुनी, रात
ार लोगों को
न सके।

रेलवे स्टेशन पर खड़ी रही।

छात्रा से छेड़छाड़ का आरोपी गिरफ्तार

बूंदी, (निसं)। लाखेरी थाना क्षेत्र के स्कूल में नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। लाखेरी थानाधिकारी सुरेश गुर्जर ने बताया कि पीड़िता ने रिपोर्ट दी थी की वह निजी स्कूल में पढ़ती है और वहीं कोचिंग भी करती है। कोचिंग संचालक आकाश शर्मा ने उसके साथ छेड़छाड़ व अश्लील व्यवहार किया। पुलिस ने धारा 354-घ आइपीसी व 7, 8 पोक्सो एक्ट में प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही शुरू की। 30 वर्षीय लाखेरी ब्रह्मपुरी निवासी आकाश शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया। उसे अब न्यायालय में पेश किया जाएगा।

युवक की हत्या के मामले परिजनों ने विरोध जतायी।

आहोर के पास जवाई नदी की घटना

आहोर, (निसं)। आहोर के पास जवाई नदी पर अवैध बजरी भरने गए एक युवक की लाठियों से वार कर निर्मम हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक सनवाड़ा गांव का मुकेश भील ट्रैक्टर के साथ जवाई नदी पर बजरी भरने गया था। वहां पर किसी बात को लेकर आपस में तकरार हो गई। इस बीच कुछ लोगों ने मुकेश पर लाठियों से ताबडतोड़ हमला कर दिया। हमले में मुकेश की मौके पर ही मौत हो गई।

सूचना पर डीएसपी हिम्मत चारण व आहोर थानाधिकारी निरंजन प्रतापसिंह मय जाब्ता मौके पर पहुंचे। घटना के विरोध में भील समाज के लोगों ने मुख्य आरोपी रमेश भील की गिरफ्तारी की मांग को लेकर थाने के सामने धरना-प्रदर्शन कर विरोध जताया। डीएसपी हिम्मत चारण ने बताया कि पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और शेष आरोपियों की तलाश जारी है। इस बीच पूर्व विधायक शंकरसिंह राजपुरोहित व कांग्रेस नेता सवाराम पटेल भी थाने पहुंचे। दोनों नेताओं ने घटना की जानकारी लेकर प्रदर्शन कर रहे लोगों से बात की। पटेल, राजपुरोहित व पुलिस के अधिकारियों की समझाइश के बाद भील समाज के लोग मान गए और विरोध-प्रदर्शन बंद कर पोस्टमार्टम के लिए राजी हुए। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है।

छात्रों ने बंकर में गुजारी रात

यूक्रेन में बताए जा रहे हैं

र्ष कर रहा सुजानगढ़ का खुशाल

थ बंकर में युद्ध रुकने का इंतजार करते भारतीय छात्र।

कर रखा है। ...हुत कमी है जिस कारण वे लोग भूख से भी संघर्ष कर रहे है। खुशाल के अनुसार 20 रुपए में मिलने वाली ब्रेड के भी दाम 300 रुपए हो गए है।

लात

र रहा है वह
म गौतम के
ार मां सीमा
पुत्र शुभम
एस की पढ़
कोतवाली
कुमार गर्ग
भी यूक्रेन
स की थर्ड
परिजन भी
चिंतित है।

भोपालगढ़ के छात्र भी फंसे

जोधपुर, (कासं)। जिले के भोपालगढ़ तहसील से मेडिकल साइंस की पढ़ाई करने यूक्रेन गए छात्र युद्ध में फंस गए हैं। जानकारी के मुताबिक छात्रों ने एक बंकर में शरण ली है। भोपालगढ़ के रहने वाले महादेव चोटिया यूक्रेन में एमबीबीएस फोर्थ ईयर की पढ़ाई कर रहे हैं। चोटिया के पिता रामनिवास चोटिया किसान हैं। रूस के हमले के बाद महादेव का पूरा परिवार परेशान है। परेशान परिजनों का कहना है कि उनके लिए अभी कोई फ्लाइट की व्यवस्था नहीं है। उनको वहां खाने-पीने की भी धीरे-धीरे समस्या आने लगी है। एटीएम को भी बंद कर दिया गया है। महादेव के साथ एक नागौर जिले का भी विद्यार्थी है। दूसरी तरफ रतकुड़िया ग्राम की एमबीबीएस प्रथम वर्ष की छात्रा बुलबुल चौधरी, खांगटा ग्राम की दूसरे वर्ष की छात्रा दिव्या चौधरी भी युद्ध के बीच एक बंकर में शरण लिए हुए हैं।

राजस्थान सरकार वन विभाग

क्रमांक प.1 (15) वन/2022 जयपुर   दिनांक 22.2.2022

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF)
राजस्थान, जयपुर

विषय: Diversion of 1.045 ha. of Forest land in favour of Jio Digital Fiber Pvt. Ltd. for Laying of Underground OFC Within ROW of Existing PWD Road from Vijaipura-Ratangarh from Lat/long point 24.808472/75.718965" to 24.688055/75.605695" for length & area in forest is 23.222KM & 1.045 ha and length & area in non-forest is 0.156 KM & 0.007 ha Total length and area in forest is 23.222KM & 1.045 ha & in non-forest is 0.156KM & 0.007 (FP/RJ/OFC/44109/2020)

संदर्भ:- आपका पत्रांक एफ 14 (322/35)2020/एफसीए/प्रवन्स/125 दिनांक 10.1.2022

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित प्रस्ताव में Jio Digital Fiber Private Limited (प्रयोक्ता अभिकरण) द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत सामान्य स्वीकृति के तहत धारा-2 में OFC Cable Line हेतु 1.045 हैक्टयर वन भूमि प्रत्यावर्तन की स्वीकृति चाही गई है। नोडल अधिकारी वन संरक्षण अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव पर विचारोपरान्त प्रस्ताव पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत धारा -2 में सामान्य स्वीकृति बाबत जारी दिशा निर्देशों एवं नवीन निर्देश दिनांक 27.07.2020 के परिपेक्ष्य में Diversion of 1.045 ha. Of Forest land in favour of Jio Digital Fiber Pvt.Ltd. For Laying of Underground OFC Within ROW of Existing PWD Road from Vijaipura-Ratangarh from Lat/long point 24.808472/75.718965" to 24.688055/75.605695" for length & area in forest is 23.222KM & 1.045 ha and length & area in non-forest is 0.156KM & 0.007 ha Total length and area in forest is 23.222KM & 1.045 ha & in non-forest is 0.156KM & 0.007 की सैद्धान्तिक स्वीकृति वृक्षों के पातन सहित निम्न शर्तों के अध्यधीन प्रदान करती है:-

1. वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
2. प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा।
3. याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं वन्य जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे।
4. प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किये जाने वाले वृक्षों को वन विभाग की बिना पूर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर, वन विभाग के होंगे।
5. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/परियोजना के आस-पास मजदूरों/ स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जायेगा।
6. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/ केरोसिन तेल आपूर्ति की जावेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो।
7. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस पास की वनभूमि में/ पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जायेगा।
8. प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा।
9. प्रयोक्ता अभिकरण, सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट प्रस्तुत करावेगा तदोपरान्त ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।
10. राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।
11. भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 7.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावे तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को पूरक एजेंसी हिन्दी व अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में आवश्यक: प्रकाशित करावें एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय पंचायत एवं नगर पालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,
(बी. प्रवीण) शासन सचिव

FCA Proposal
C.S.

(VIJAY SHANKAR PANDEY)
D.C.F. CHITTORGARH

A4- 44109

For Jio Digital Fiber Private Limited
Authorised Signatory

TIMES NATION

THE TIMES OF INDIA, JAIPUR | SATURDAY, FEBRUARY 26, 2022

ED AND I-T WILL COME TO CHHATTISGARH AFTER ONGOING POLLS, WARNS C'GARH CM BAGHEL

BJP WILL WIN MORE THAN 300 SEATS IN UP, DON'T GET MISLED BY SP, BSP AND CONGRESS, SAYS HEMA

In a first, Union law secy is appointed high court judge

Times News Network

New Delhi: In a first, a union law secretary has been appointed as a judge of a high court. Four judges have been appointed to the Delhi high court including Union Law Secretary Anoop Kumar Mendiratta. All four have been elevated as a judge of Delhi High Court from district judiciary.

Mendiratta was a judicial officer in Delhi when he took over as the law secretary in October 2019. Even that was a first when a serving district and sessions judge was made the union law secretary. Besides Mendiratta, three other judicial officers — Neena Bansal Krishna, Dinesh Kumar Sharma and Sudhir Kumar Jain — have also been elevated as judges of the Delhi High Court. Sharma was serving as the District and sessions judge of the New Delhi District Court at Patiala House and had earlier also served as Registrar General of HC. Jain was posted as the District and sessions judge of the Rouse Avenue Court while Krishna presided as the Principal District and Sessions Judge at Saket (South East) District Court.

DELHI JAL BOARD: GOVT. OF NCT OF DELHI
OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER (T) M-6
D-BLOCK: MOTI NAGAR: NEW DELHI-110015

PRESS NIT NO. 78 (2021-22)

Item No.	Name of Work	Estimated Cost	Date of release of tender in E-procurement solution	Last date/time of receipt of tender e procurement
1.	Replacement of old & damaged sewer line by new 300 mm dia HDPE pipe sewer line in CP block Ward 64, Pitampura, AC-14 under ACE(M)6. (Re-invite)	Rs. 66,81,345/-	Tender ID No. 2022_DJB_217503_1 on 25.02.2022 at 11:44 A.M	08.03.2022 Up to 3:00 PM
2.	Replacement of old /badly damaged sewer line of 250 and 300 mm dia in B-2 block from H. No. 32 to 181 & H. No. 198 to 211 through pipe busting method in Paschim Vihar under EE (NW) III AC-15. (Re-invite)	Item Rate EMD Rs. 99,000/-	Tender ID No. 2022_DJB_217503_2 on 25.02.2022 at 11:53 A.M	08.03.2022 Up to 3:00 PM
3.	Replacement of old & damaged sewer line by new 355 mm (OD) HDPE pipe by PENTODE METHOD in Singhalpur Extension, Shalimar Bagh, AC-14, under NW-III. (Re-invite)	Item Rate EMD Rs 87,500/-	Tender ID No. 2022_DJB_217503_3 on 25.02.2022 at 11:58 A.M	08.03.2022 Up to 3:00 PM
4.	P/L 350 mm dia additional outfall sewer line by trenchless method for VP & WP Block, Pitampura, AC-14 under ACE (M) 6 (Re-invite)	Rs. 42,31,686/-	Tender ID No. 2022_DJB_217503_4 on 25.02.2022 at 12:05 PM	08.03.2022 Up to 3:00 PM
5.	Regrading of outfall sewer line by P/L 400 mm dia. sewer line by trenchless method for Deepali Enclave under AEE M-15 in AC-15. (Re-invite)	Rs. 45,78,851/-	Tender ID No. 2022_DJB_217503_5 on 25.02.2022 at 12:10 PM	08.03.2022 Up to 3:00 PM

Further details in this regard can be seen at https://govtprocurement.delhi.gov.in

ISSUED BY P.R.O. (WATER)
Advt. No. J.S.V. 1170 (2021-22)

Sd/- (Trilok Chand)
Ex. Engineer (T) M-6

"STOP CORONA: Wear Mask, Follow Physical Distancing, Maintain Hand Hygiene"

Leander guilty of abuse, says court, orders relief for Rhea

TNN & Agencies

Mumbai: A metropolitan magistrate's court has held that tennis player Leander Paes committed various acts of domestic violence against ex-partner model-actor **Rhea Pillai**. It directed Paes to pay a monthly rent of Rs 50,000 apart from monthly maintenance of Rs 1 lakh to Pillai if the latter chose to leave their shared residence.

Pillai approached the court in 2014 seeking relief under the Protection of Women from Domestic Violence Act, saying she was in a live-in relationship, akin to marriage, with Paes for eight years. Metropolitan magistrate Komalsing Rajput passed the order earlier this month, made available now.

Pillai claimed that Paes, through his acts and conduct, "caused verbal, emotional and economic abuse, which resulted in tremendous emotional violence and trauma". "Considering the facts admitted by (Paes)... it can be said that (Pillai) succeeded in proving allegations constituting emotional and economic violence... burden shifts on (Paes) to prove counter," the court said.

To stun enemies, develop indigenous weapons: PM

Defence Sector Must Tap I-T Prowess: Modi

Times News Network

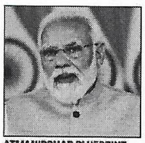

ATMANIRBHAR BLUEPRINT

New Delhi: Stressing the need to strengthen domestic defence production and make cybersecurity integral to national security, Prime Minister Narendra Modi on Friday said India will soon issue a third "positive indigenization" list after the first two banned imports of 209 weapon systems, platforms and ammunition for the armed forces.

Addressing a webinar on 'Aatmanirbharta in Defence – Call to Action', the PM said the 2022-23 Union Budget has laid down a blueprint for developing a vibrant ecosystem for research, design and development in defence manufacturing in the country. Almost 70% of capital procurements in defence have been earmarked for the domestic industry as well as 25% of the R&D budget for private industry, startups and academia. Noting that indigenous customised weapon systems would surprise adversaries during battles, the PM said, "If 10 countries will have the same type of defence equipment, your defence forces would have no uniqueness. Uniqueness and the element of surprise are possible only when the equipment is developed in your own country."

Contracts worth Rs 54,000 crore have been inked with the domestic industry, while deals worth another Rs 4.5 lakh crore are in the pipeline at different stages, after the defence ministry issued the first two "positive indigenization" or negative arms embargo import lists. "The third list will come soon," the PM said.

India has also increased its defence exports by six times in the last few years, and is now exporting 'Make in India' weapons and equipment to over 75 countries. "India's IT sector is our great strength. The more we use this power in our defence sector, the more confident we will be in our security. For example, cybersecurity is no longer limited to the digital world only. It has become a matter of national security," Modi said.

Defence minister Rajnath Singh, in turn, made a series of announcements to encourage the domestic industry and startups. At least five projects under the 'Make-I' category will be sanctioned during the 2022-23 fiscal to promote industry-led R&D efforts, he said.

A monitoring mechanism will also be created under the director general of acquisitions, with representatives from all the three Services, to ensure the budget earmarked specifically for private industry and startups is fully utilised, he added.

Identifying R&D and development of technologies as integral to achieving 'Aatmanirbharta' in defence, Singh called upon the industry, R&D organisations, start-ups and academia to leverage each other's capabilities to make India self-reliant.

4th P-8I aircraft lands at INS Hansa

The last of the four additional P-8I maritime surveillance aircraft purchased by the Indian Navy from the US-based aerospace company, Boeing, touched down at INS Hansa in Goa on Wednesday, giving the Indian Navy its full complement of submarine hunter aircraft to cover the Western and Eastern waters as well as the Indian Ocean. The Indian Navy is expected to commission the second squadron of the P-8I aircraft, INAS 316, on March 16 at INS Hansa, officials said. The aircraft, with its exceptional maritime surveillance, reconnaissance capabilities and versatility, has proved to be an important asset.

While the Indian Navy remained tight-lipped about the aircraft arriving at Goa, managing director of Boeing Defence India, Surendra Ahuja, took to Twitter to announce the development.

"Such an honour to be able to continue to add to Indian Navy's 'long-range maritime patrol and anti-submarine warfare' might," said Ahuja, a retired rear admiral and navy test pilot. TNN

TIMES interact
Connecting People, Connecting Needs.

To book your ad | Logon to: ads.timesgroup.com or Call: 18001205474 (Toll Free) | Scan QR Code

real estate

FOR SALE

JAIPUR

FARMHOUSE
BUY FULLY DEVELOPED FARMHOUSE AT VEDIC VILLAGE STARTING FROM RS. 6 LAKH
LAKESIDE CLUBHOUSE NATUROPATHY HOSPITAL AT VILLAGE JHAG, BAGRU, AJMER ROAD, JAIPUR
7230852244
WWW.VEDICVILLAGEFARMS.COM

personal

CHANGE OF NAME

I, Hanuman Prajapat S/o Ghasee Lal Prajapat, R/o; Chawandiya Chawandia, Jaipur- 303301, changed my name to Rudra Veer Singh Prajapat for all purposes.

I have changed my name from Khemvati Jat to Ravita Singh. In future I should be known by this name. Address: Village Kunsay, Post Raypur, Teshil Wazirpur, Sawai madhopur.

I have changed my name Tofique To New Name Tofique Behlim, In Future Known By New Name Tofique Behlim, R/o Ward No 07, Chetan Ki Badi, Fatehpur, Dist-Sikar (Raj.)

I Have Changed My Name From Jitendra Kumar S/o Roop Narain To Jitendra Kumar Saini S/o Roop Narain Saini For All Purpose. 3886, KGB Ka Rasta, Johari Bazar, Jaipur (Raj.)

I'M Laxmi Kalwani, D/o Kishan Chandra Kalwani, residing at PN 161-B Janak Vihar, Sirsi Road, Panchyawala. My name mentioned in 10th, 12th, MBA marksheet is (Lakshmi Kalwani) and aadhar card, graduation marksheet and other documents is (Laxmi Kalwani) both name's are correct and mine. I'm known by both names.

I,CHITRA Agarwal D/o Late Vishwanath Agarwal W/o Sanjay Mittal R/o 151,Cbi Colony,Jagatpura,Jaipur Rajasthan 302017,have changed my name to Chitra Mittal.

LOST & FOUND

ORIGINAL Receipt of Regularization of house no- 191/193, sector- 19, pratap Nagar, Sanganer, Jaipur has been lost some where please contact if found mohini devi-9950326884

OBITUARY

SAD DEMISE

Memorial Service
to celebrate the life & work of
Dr. Iqbal Ahmad Niazi
(22 August, 1928 - 24 February, 2022)

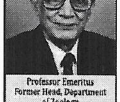

Professor Emeritus
Former Head, Department of Zoology
University of Rajasthan, Jaipur
Fellow, Indian Academy of Sciences, Bengaluru
Fellow, National Academy of Sciences, Allahabad
Founder Member, Indian Society of Developmental Biologists

Loving Husband, Abbu, Nanu & Bhaijaan
Eminent Scientist, Teacher & Mentor

Sunday, 27th February, 2022
6 PM to 8 PM IST

Please join via Zoom link:
https://us02web.zoom.us/j/82015409391

RSVP
Zeba Niazi Singh +1(501) 960-1353
Zeenat Niazi +91 9810947009
Asad Niazi +91 9910936090
email: zeeniazi@gmail.com

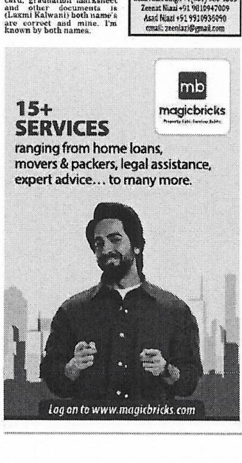

auto

PRE-OWNED VEHICLES

FORCE MOTORS

2015 Model Force Traveller (Close Body) Delivery / Pick Up Truck, Noida Registration Contact :- 8826909099, 8860205025

tender & notices

PUBLIC NOTICE

राजस्थान सरकार वन विभाग
क्रमांक प.: (13) वन/2022 जयपुर दिनांक 22.2.2022
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF)
राजस्थान, जयपुर
विषय: Diversion of 1.045 ha. of Forest land in favour of Jio Digital Fiber Pvt. Ltd. for Laying of Underground OFC Within ROW of Existing PWD Road from Vijaipura-Ratangarh from Lat/long point 24.808472/75.718965" to 24.688055/75.605895" for length & area in forest is 23.222KM & 1.045 ha and length & area in non-forest is 0.156KM & 0.007 ha Total length and area in forest is 23.222KM & 1.045 ha & in non-forest is 0.156KM & 0.007 (FP/RJ/OFC/44109/2020)
[illegible]

jobs

SITUATION VACANT

ACADEMIC

TEACHER

RAINBOW SCHOOL (10+2 CBSE School) Requires: Academic Coordinator- (Classes: Nursery- V), Academic Coordinator- (Classes VI- XII), PRTS, TGTS, PGTS- (All subjects) Candidate should have good knowledge of English (Spoken/ Written) having atleast 5 yrs. teaching experience in a CBSE School. Send Resume: info@rainbowschool.co Khatipura Road, Jhotwara, Jaipur. 0141-2343801, 2340409

ADMINISTRATION

OFFICE ASSISTANTS

MATTRESS Company, Jaipur, Required: Educated, Female Executive (MBA Preferred) Skilled in Products Promotion, Online Marketing, Liasoning with Interior Decorators/ Companies and arrange Meetings. 9414070664

OTHER VACANCIES

MULTIPLE VACANCIES

IFCI Financial Services Limited (A Subsidiary of IFCI Ltd, Government of India Undertaking) invites application for Dealer cum Relationship Manager, Business Development based at Udaipur. For further details please visit our website: www.ifinltd.in/Career/ Click-To-Post-Resume. Last date for applying: 18/03/2022

ई सी जी सी ECGC
(A Government of India Enterprise)
"You focus on exports. We cover the risks."
Engagement of Apprentices
ECGC Ltd., a public sector Export Credit Insurance Company, invites applications on an all-India basis for engagement of apprentices at multiple locations.
Interested applicants may visit our website at www.ecgc.in for eligibility criteria, vacancies, last date of application and other information.

PART TIME JOBS

"PART Time Work" 20k - 30k Month Engineering, Management and Commerce Students. Contact at 08905507113 (Youth Empowerment Program, YEP)

RISING INDIA

WANTED CFA AGENTS
A Fast Growing Established Mumbai based Pharma Co. Requires Financially Sound CFA Agents for Delhi NCR, UP Rajasthan and Punjab
Send details on Email:- Kakkarneeraj02@gmail.com
Contact 8595206821

To book an advertisement for The Times of India Group please call our Authorized Booking Centers in
AJMER ROAD
SHREE BALAJI ENTERPRISES : 9413815599
SHIVRATAN ADVERTISING : 9587215000

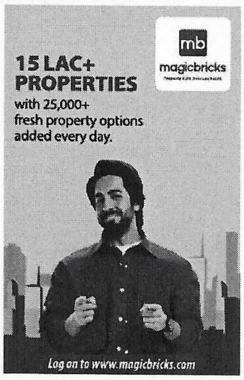

THE TIMES GROUP
Readers are recommended to make appropriate enquires and seek appropriate advice before sending money, incurring any expenses, acting on medical recommendations or entering into any commitment in relation to any advertisement published in this publication. The Times Of India Group doesn't vouch for any claims made by the Advertisers of products and services. The Printer, Publisher, Editor, and Owners of The Times Of India Group publications shall not be held liable for any consequences, in the event such claims are not honoured by the Advertisers.

HC reserves order in hijab case after marathon hearing

Vasantha.Kumar
@timesgroup.com

Bengaluru: After a marathon hearing which commenced on February 10, a three-judge full bench of the Karnataka high court on Friday reserved its verdict on petitions pertaining to the hijab ban controversy. On Friday, the full bench comprising Chief Justice Ritu Raj Awasthi, Justice Krishna S Dixit and Justice JM Khazi heard arguments advanced on behalf of a couple of petitioners in PILs and also rejoinder arguments on behalf of petitioner-students from Udupi and Kundapur PU colleges.

As regards the interlocutory applications filed by several individuals/organisations, the bench said they can submit their written submissions if they wish. On February 10, the full bench had passed an interim order saying that pending consideration of the petitions, "all students regardless of their religion or faith are restrained from wearing saffron shawls (bhagwa), scarf, hijab, religious flags or the like within classroom" until further orders. The bench had also made it clear this order was confined to institutions wherein College Development Committees (CDCs) have prescribed student dress code/uniform.

Meanwhile, a student from Government PU College, Udupi on Friday told the HC that the local MLA has been rendered a veritable 'monarch' of the institution as he is head of the CDC with powers to nominate 11 of its 12 members. In his rejoinder arguments, senior advocate Prof Ravivarma Kumar, appearing for the Udupi student, claimed by making the MLA the CDC chairman, the state government has handed over absolute powers to him on a platter. "There is absolutely no accountability for the MLA who acts as a monarch in the college. It is the MLA who decides the scheme of things. That (CDC) has been hijacked by the MLA," he argued.

Referring to the advocate general's contention that the order delegating power to the CDC was not derived from any specific provision but was issued under removal of difficulties clause, he said the difficulty was not explained.

Mohammed Tahir, counsel for four other Udupi college girls, claimed that the February 5, 2022 circular is discriminatory. However, the Chief Justice told him that nobody had taken the ground of discrimination under Article 14 and it was being brought up for the first time in the proceedings.

On February 10, the HC had passed an interim order in the case

K'taka college declares holiday after protests

With some students refusing to attend classes without hijabs or burqas, the management of Bharath PU College in Mastikatte, declared a holiday on Friday. The college, run by Ullal Mogaveera Sangha, is an aided institution. It has around 100 students in the Arts and Commerce section of which 70 are Muslims, including 20 girls. On Friday, some students, including boys, protested in front of the college after the girls refused to adhere to the hijab ban. TNN

Bajrang Dal worker's murder: 2 more held

Police on Friday arrested two more persons in connection with the murder of Bajrang Dal member Harsha here, taking the total to 10. Shivamogga SP BM Laxmi Prasad said they arrested Abdul Roshan, 24, from Bhadravati town and Jafar Sadiq, 55, from Shivamogga city. With the situation limping back to normalcy, the district administration has decided to relax curfew from Saturday. However, prohibitory orders will continue in the riot-hit city till February 28. TNN

TIMES TRIBUTE
To book your ad logon to: ads.timesgroup.com or Call: 18001205474 (Toll Free)

In loving Memory

It is with profound grief we inform that our beloved son
Aamit Bawa
has left for heavenly abode on 18th Feb, 2022.

The prayer meeting will be held at Siddhi Vinayak Temple, Dussehra Ground , Gomes Def. Colony, Vaishali Nagar, Jaipur from 1130 hours to 1230 hours on Sunday, 27 th Feb 2022.

In grief:
Lt. Col. P. L. Bawa, (Retd)
Mrs. Trishna Tripta Bawa
Artie & Ashish Bawa

RSVP:
Puja Raj: 9116317102, 9829016620

6 men trapped in snow for 3 days rescued

Jammu: Six men trapped due to heavy snowfall in a remote area of Jammu and Kashmir's Kishtwar district for three days and an equal number of nights, were rescued by a team of Kishtwar Police on Friday, reports **Sanjay Khajuria**.

The six, all residents of Kishtwar's Warwan area, had gone "missing" on their way home from Anantnag on February 22.

Cops were alerted by Warwan resident Wali Mohd on February 22 that six of his relatives, who were travelling towards Warwan via Margantop got trapped at Margantop due to heavy snowfall. "A massive search and rescue operation was launched by the police to trace the missing persons," said Kishtwar SSP Shafqat Hussain Batt.

After hectic efforts, Kishtwar Police established contact with the trapped men on mobile phone on Friday, he added.

FCA Proposal
C.S.
(VIJAY SHANKAR PANDEY)
D.C.F. CHITTORGARH

B-4

For-Jio Digital Fiber Private Limited
Authorised Signatory